अध्याय-V

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ

अ. मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

5.1 कर प्रशासन

भारतीय मुद्रांक (भा.मु.) अधिनियम, 1899 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों तथा निबंधन अधिनियम, 1908 के द्वारा झारखण्ड राज्य में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण शासित होता है। 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य की स्थापना होने पर, बिहार राज्य में विद्यमान भारतीय मुद्रांक (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1991, बिहार मुद्रांक नियमावली, 1954, बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियमावली, 1995 एवं कार्यकारी आदेशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया।

शासकीय स्तर पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन विभाग) प्रधान सचिव/ सचिव के समस्त प्रशासकीय नियंत्रण में है। निबंधन के महानिरीक्षक (आई.जी.आर.) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत प्रशासन हेतु अधिनियम, नियम एवं आदेशों के लिये उत्तरदायी है। उन्हें मुख्यालय में उप/ सहायक महानिरीक्षक (उ.म.नि./ स.म.नि. एवं एक उप सचिव तथा प्रमण्डलों में निबंधन निरीक्षक के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तदन्तर, 24[1] निबंधन जिले, जिला अवर निबंधकों (जि.अ.नि.) और 18[2] अवर-निबंधक कार्यालय, अवर-निबंधकों (अ.नि.) के प्रभार में कार्य करता है। ये सभी कार्यालय भा.मु.अ. 1899 और निबंधन अधिनियम 1908 के अधीन मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी प्राथमिक इकाईयाँ हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा ने निबंधन विभाग की 56 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 19[3] इकाईयों (34 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। विभाग ने 2015-16 में ₹ 531.64 करोड़ (मुद्रांक शुल्क: ₹ 381.10 करोड़ और निबंधन फीस एवं अन्य प्राप्तियाँ ₹ 150.54 करोड़) संग्रहित किया गया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 436.04 करोड़ (82 प्रतिशत) संग्रहित किये। लेखापरीक्षा 726 मामलों

---

1 बोकारो, चतरा, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, राँची, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा और सरायकेला-खरसाँवां।

2 बरही(हजारीबाग), बेरमों(बोकारो), बुण्डू(राँची), चक्रधरपुर(चाईबासा), चांडिल (सरायकेला-खरसाँवां), डुमरी(गिरिडीह), घाटशिला(जमशेदपुर), गोविन्दपुर(धनबाद), गोला(रामगढ़), हुसैनाबाद(पलामू), जमुआ(गिरिडीह), मधुपुर(देवघर), नगर उंटारी(गढ़वा), राजधनवार(गिरिडीह), राजमहल(साहिबगंज), राँची शहरी क्षेत्र-02 डोरंडा प्रक्षेत्र, राँची शहरी क्षेत्र-03, कांके प्रक्षेत्र एवं राँची ग्रामीण क्षेत्र।

3 जिला निबंधन/अवर निबंधन का कार्यालय, बरही, बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गढ़वा, घाटशिला, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, हुसैनाबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, खूँटी, लातेहार, राँची, सरायकेला-खरसाँवां, सिमडेगा और निबंधन महानिरीक्षक राँची।

में ₹ 9.73 करोड़ के कमियों/ अनियमितताओं को (जिसमे तीन जिला अवर निबंधन कार्यालयों[4] में 40 मामलों में ₹ 6.12 करोड़ शामिल) जैसा कि **तालिका-5.1** मे वर्णित है।

तालिका-5.1

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्तिग्रस्त राशि का अंश प्रतिशत में
1	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का अल्पारोपण	587	5.59	57.45
2	दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	19	3.74	38.44
3	संपतियों का अवमूल्यांकन	109	0.38	3.90
4	अन्य मामले	11	0.02	0.21
कुल		**726**	**9.73**	

अध्याय के इस खण्ड में 117 मामलों में ₹ 7.73 करोड़ के अनियमितताये दृष्टांत के रूप में वर्णित है। इन अनियमितताओं में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस विगत पाँच वर्षों के दौरान बारम्बार प्रतिवेदित किया गया जैसा कि **तालिका-5.2** में वर्णित है।

तालिका-5.2

(₹ लाख में)

अवलोकन की प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का अनारोपण	858	56.28	9,215	229.51	19	133.22	17	9.77	106	29.48	10,215	458.26

अनुशंसा:

विभाग को प्रणाली स्वरूप मानदण्ड संबंधी कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रतिवर्ष इंगित किये गये समान त्रुटियों/ कमियों की पुनरावृति न हो।

5.3 अधिनियमों/ नियमों का अनुपालन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, (भा.मु.अ.) निबंधन अधिनियम, 1908 तथा बिहार निबंधन नियमावली, 1937, बिहार निबंधन हस्तक, 1946 और बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियमावली, 1995 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के अधीन प्रावधान है:

(i) विनिर्दिष्ट दर से निबंधन फीस का भुगतान; और
(ii) निष्पादक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की विफलताओं को नीचे दर्शाया गया है।

[4] चतरा, राँची और सरायकेला-खरसाँवां।

5.4 खनन पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का अल्पारोपण

पट्टों का निबंधन स्वीकृत खनन योजनाओं में औसत वार्षिक रॉयल्टी के सत्यापन के आधार पर जैसा कि नियमों और अधिनियमों के अधीन/ अपेक्षित है, में यह सुनिश्चित करने में तंत्र की विफलता के परिणामस्वरूप दस्तावेजों के गलत मूल्यांकन किये जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस ₹ 3.85 करोड़ का अल्पारोपण हुआ।

निबंधन अधिनियम, 1908 में निर्धारित करता है कि अचल संपातियों के पट्टे को एक वर्ष से अधिक समय के लिये निबंधित होना अनिवार्य है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस औसत वार्षिक किराया के मूल्यांकन पर भारित होता है जो पट्टे की अवधि पर निर्भर करता है। झारखण्ड लघु खनिज रियायत (संशोधन) नियमावलियों, 2014 विहित करता है कि खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार ही किया जाएगा। आगे खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश (नवंबर-1996) के अनुसार एक वर्ष का रॉयल्टी (स्वीकृत खनन योजना के अनुसार) या नियत लगान[5] जो भी अधिक है खनन पट्टा के मामले में मुद्रांक शुल्क की गणना हेतु मान्य होगा।

आठ जिला अवर-निबंधक कार्यालयों[6] के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा (नवंबर 2016 और मार्च 2017 मध्य) और आठ जिला खनन कार्यालयों[7] के अभिलेखों के तिर्यक जाँच में उद्घटित हुआ कि जून 2014 से मार्च 2016 के दौरान 63 पट्टा दस्तावेजों के निबंधन का मूल्यांकन (64 पट्टा दस्तावेजों के नमूना जाँच में से) औसत वार्षिक रॉयल्टी जो कि खनन योजना में वर्णित है के बदले वार्षिक नियत लगान के मूल्य पर की गयी। आगे अवलोकन के क्रम में पाया गया कि विभाग के पास दस्तावेजों के मूल्यांकन के साथ मूल अभिलेख अर्थात खनन योजना के जाँच हेतु कोई तंत्र/ प्रणाली नहीं था। जि.अ.नि. द्वारा इस प्रकार के जाँच की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.85 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का अल्पारोपण हुआ।

विभाग ने (मार्च 2018) लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और समुचित सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

अनुशंसा:

विभाग एक प्रणाली स्थापित कर सकती है जो यह सुनिश्चित करे कि पट्टे को अनुमोदित खनन योजना में प्रस्तावित औसत वार्षिक रॉयल्टी के आधार पर निबंधन किया जाता है जैसा विधि एवं नियमों के अंतर्गत आवश्यक है।

---

[5] खनन पट्टे में काम न करने और खनिज संसाधनों को निष्क्रिय रखने की पट्टाधारकों की प्रवृति के विरुद्ध निवारक।

[6] चतरा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गढ़वा, कोडरमा, राँची और सरायकेला-खरसाँवां।

[7] चतरा, धनबाद, दुमका, गोड्डा, गढ़वा, कोडरमा, राँची और सरायकेला-खरसाँवां।

5.5 मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का अनारोपण

डाटा/ सूचना के अंतर्विभागीय आदान प्रदान के लिये प्रणाली के अभाव के कारण अंचल कार्यालयों तथा स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित दो टोल अनुबंधों एवं 52 पट्टे के दस्तावेजों के निबंधन के लिये प्रस्तुत नहीं करने की विफलता के कारण ₹ 3.88 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का अनारोपण हुआ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम कोई दस्तावेज़ जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का टोल वसूली हेतु पट्टा दिया गया हो "लीज" को परिभाषित किया है।

लेखापरीक्षा ने अनिबंधन के कारण सरकारी राजस्व से बचने वाले क्षेत्रों की बारम्बार पहचान की है और वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से चार विभागों[8], लोक क्षेत्र उपक्रम[9] और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित अनिबंधित दस्तावेजों के 10,215 मामले जिसमें सरकारी राजस्व ₹ 458.26 लाख की राशि निहित है प्रतिवेदित किये गये हैं। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पाँच जि.अ.नि. कार्यालयों[10] में इन अनियमितताओं के निरंतर घटित होते रहने को प्रतिवेदित किया गया है। विभाग द्वारा पट्टे दस्तावेजों के निबंधन सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन करने के लिये (नवंबर 2016 और मार्च 2017 के मध्य) 19 इकाईयों का नमूना जाँच किया गया। दो जिला अवर-निबंधक कार्यालयों[11] में पाया गया कि महाप्रबंधक (वाणिज्यिक परिचालन), क्षेत्रीय कार्यालय भा.रा.रा.प्रा. राँची और कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) पथ प्रमंडल सरायकेला के साथ फरवरी और मार्च 2016 के मध्य में संविदा का इकरारनामा किया गया जिसके अनुसार एक वर्ष के टोल संग्रहण हेतु दो प्राइवेट व्यवसायियों[12] से क्रमश ₹ 56.61 करोड़ और ₹ पाँच करोड़ का करार संपन्न हुआ। आगे, सैरातों[13] के बंदोबस्ती से संबंधित विभिन्न विभागों/ राज्य सरकार के निकायों के आठ कार्यालयों[14] से राजस्व अर्जित करने वाले हाट, बाज़ार, बस/ टैक्सी पड़ाव आदि की सूचना (दिसंबर 2016 और मार्च 2017 के मध्य) एकत्रित किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा 60 सैरातों के नमूना जाँच में 52 सैरातों की बंदोबस्ती विभिन्न डाकवक्ताओं के साथ एक वर्ष से अधिक या वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर 2014-15 और 2015-16 के मध्य किया गया। भा.रा.रा.प्रा. एवं का.अ.(प.नि.वि.) तथा अन्य कार्यालयों के टोल से संबंधित

---

8 शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और पशुपालन एवं मतस्य विभाग।

9 भारी अभियंत्रण निगम, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

10 चतरा-09, धनबाद-896, गोड्डा-50, कोडरमा-02, राँची-8,355।

11 जि.अ.नि. राँची और सरायकेला-खरसाँवां।

12 मेसर्स एम.ई.पी. इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपर्स लि., दिल्ली एवं मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज़, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

13 राजस्व अर्जित करने वाले हाट, बाज़ार, मेला, पेड़, नावघाट, तालाब आदि के संबंध में अधिकार एवं हित।

14 अंचल कार्यालयों बरही और सरायकेला, नगर निगम धनबाद, नगर परिषद चतरा और गढ़वा, नगर पंचायत दुमका, हुसैनाबाद और सरायकेला।

उपरोक्त सूचनाओं का तिर्यक जाँच संबंधित छः जि.अ.नि. एवं दो अ.नि.[15] के अभिलेखों से किया गया और पाया गया कि संविदा में पट्टे के निबंधन का प्रावधान होने के बावजूद इन दस्तावेजों का निबंधन नहीं कराया गया। निबंधन विभाग एवं अन्य विभागों/ राज्य/ केन्द्र सरकार के निकायों में सूचना के विनिमय हेतु तंत्र के अभाव के कारण विभाग इन संविदाओं/ पट्टे से अनभिज्ञ रहा फलस्वरूप ₹ 3.88 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का अनारोपण हुआ।

निबंधन विभाग ने (मार्च 2018) आश्वस्त किया कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। पथ निर्माण विभाग (मार्च 2018) ने आंचलिक अधिकारी (भा.रा.रा.प्रा.) और मुख्य अभियंता (प.नि.वि.) को दस्तावेजों के निबंधन हेतु प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

अनुशंसा:

निबंधन विभाग एक तंत्र (विशेषकर इलेक्ट्रोनिक) स्थापित कर सकती है जो यह सुनिश्चित करे कि (टोल सहित) सरकारी संपति के पट्टे से संबंधित आँकड़ा/ सूचना सभी विभागों द्वारा साझा की जाती हो ताकि दस्तावेजों का निबंधन करने में विफलता से राजस्व का कोई रिसाव न हो।

[15] जि.अ.नि. चतरा, धनबाद, दुमका, गढ़वा, राँची और सरायकेला-खरसाँवां और अ.नि. बरही और हुसैनाबाद।

ब. विद्युत् पर कर एवं शुल्क

5.6 कर प्रशासन

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अंतर्गत वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है। सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर जिनको एक अपर आयुक्त, तीन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त (वा.क.सं.आ.), तीन वाणिज्यकर उपायुक्त (वा.क.उ.) एवं दो वाणिज्यकर सहायक आयुक्त (वा.क.स.आ.) द्वारा सहयोग किया जाता है, विभाग अधिनियम एवं नियमों हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमण्डलों[16], प्रत्येक के प्रभारी एक वा.क.स.आ. (प्रशासन) एवं 28 अंचलों, प्रत्येक के प्रभारी एक वा.क.आ/ वा.क.स.आ. में विभाजित है। वा.क.उ./ वा.क.स.आ. विद्युत शुल्क (वि.शु.) के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों (वा.क.प.) द्वारा सहयोग किया जाता है।

5.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वा.क.वि. की 44 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 27[17] इकाईयों (61 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की और 14 मामलों में ₹ 41.44 करोड़ (जिनमें से सात मामलों में शामिल ₹ 41.23 करोड़ की अनियमिततायें तीन कार्यालयों[18] से सम्बंधित हैं) की कमियाँ एवं अनियमितताये पायी, जैसा कि **तालिका-5.3** में वर्णित है।

तालिका-5.3

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्ति की गई राशि के प्रतिशत में योगदान
1	उर्जा आवर्त का छिपाव	2	36.77	88.73
2	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	4	2.46	5.94
3	गलत दर का अनुप्रयोग	6	2.14	5.16
4	विदुत शुल्क से छूट की गलत अनुमति	2	0.07	0.17
कुल		**14**	**41.44**	

[16] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची और संथाल परगना (दुमका)।

[17] वा.क.उ./वा.क.स.आ. के कार्यालयों, आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिण, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम एवं तेनुघाट और आयुक्त, वाणिज्यकर, राँची।

[18] वा.क.उ./वा.क.स.आ. के कार्यालयों, झरिया, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

अध्याय के इस खंड में 10 मामलों में सन्निहित ₹ 6.83 करोड़ की अनियमितताओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार की कुछ अनियमितताये, पिछले पाँच वर्षो के दौरान बारम्बार सूचित की गयी हैं, जैसा कि **तालिका-5.4** में विस्तृत रूप में वर्णित है |

तालिका-5.4

(₹ करोड़ में)

अवलोकन की प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		कुल	
	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि
वि.शु. एवं ब्याज का अनारोपण/ अल्पारोपण	3	1.40	16	15.80	-	-	8	3.83	2	0.25	29	21.28
विद्युत उर्जा का छिपाव	-	-	1	30.63	21	2.00	-	-	-	-	22	32.63

अनुशंसा :

विभाग, अनुवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा प्रतिवेदित सदृश अनियमितताओं की पुनरावृति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रणालियाँ संस्थापित कर सकता है।

5.8 विद्युत शुल्क एवं ब्याज का अनारोपण/ अल्पारोपण

संशोधित अधिनियम के अनुसार खनन प्रयोजन पर उच्चतर विद्युत शुल्क आरोपित करने में कर निर्धारण प्राधिकारी की विफलता, एवं करों के ई-फाइलिंग को अनिवार्य करने के अपने आदेशों को लागू करने के लिये सॉफ्टवेयर तंत्र प्रस्तावित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप, ₹ 2.12 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ₹ 3.36 करोड़ के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2011 के अनुसार, खनन प्रयोजन के लिये विद्युत शुल्क की दर, जहां कुल भार 100 ब्रिटिश हॉर्स पावर (बीएचपी) से अधिक है, बिक्री या खपत ऊर्जा की 20 पैसे प्रति इकाई है; यह औद्योगिक उद्देश्यों और घरेलू उपयोग (जब खपत 250 इकाईयों से अधिक हो) के लिये क्रमशः पाँच और 24 पैसे प्रति इकाई है। तदन्तर, झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) नियम 2012 के अनुसार, अनुवर्ती महीने के 21वें दिन तक शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज आरोपित होगा।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 29 निर्धारितिओं के संबंध में विद्युत शुल्क का सही दर आरोपित करने में कर निर्धारण प्राधिकारी की विफलताओं को इंगित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.28 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। यद्यपि, विभाग ने आश्वासन दिया (अगस्त 2016) कि उचित कार्रवाई की जाएगी, अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने समान अनियमितताओं/ कमियों की पुनरावृत्ति को देखा, जैसा नीचे वर्णित है।

(i) हजारीबाग और तेनुघाट अंचलों में कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि 2012-13 से 2013-14 की अवधि के लिये 36 निर्धारितिओं में से पाँच निर्धारितिओं के मामले में (सितंबर 2015 और मई 2016 के मध्य कर निर्धारित) ₹ 1.42 करोड़ का विद्युत शुल्क कम दरों पर लगाया गया था। आगे जाँच से पता चला कि यह विफलता, झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधित) अधिनियम 2011 के नये प्रावधानों के बावजूद क.नि.प्रा. द्वारा "कोयले की धुलाई" को औद्योगिक गतिविधि के रूप में गलत तरीके से परिभाषित करते हुये कम दर पर शुल्क आरोपित करने के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.12 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं ₹ 89.61 लाख के ब्याज का अल्पारोपण हुआ।

(ii) गिरिडीह और झरिया अंचलों में 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिये कर-निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि यद्यपि क.नि.प्रा. ने 19 निर्धारितिओं में से चार निर्धारितिओं (मार्च 2015 और मार्च 2016 के मध्य कर निर्धारित) द्वारा ₹ 9.38 करोड़ (निर्धारितिओं द्वारा खनन गतिविधि में खपत की गयी उर्जा पर उच्चतर दर पर आरोप्य शुल्क के आधार पर) के विरुद्ध ₹ 2.02 करोड़ की कमतर राशि स्वीकृत एवं भुगतान किया गया, क.नि.प्रा. अतिरिक्त निर्धारण पर ₹ 2.46 करोड़ का ब्याज आरोपित करने में विफल रहे। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने मूल्य वर्धित कर से संबंधित विवरणियों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी थी (अप्रैल 2011) जिसमें कर के देर से भुगतान होने पर ब्याज की स्वत: गणना की सुविधा थी। इसके बावजूद, विभाग ने विद्युत शुल्क के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संस्थापित नहीं किया, एवं विवरणियां मैन्युअल रूप से दाखिल किया जाना जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज लगाने में क.नि.प्रा. की विफलता हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) लेकिन विवरणियों की ई-फाइलिंग सुनिश्चित करने की आवश्यकता का निराकरण नहीं किया।

अनुशंसा :

1. **विभाग संशोधित अधिनियम के संदर्भ में विभाग उचित रूप से कर निर्धारण प्राधिकारियों को निर्देश दे सकता है कि खनन गतिविधि पर उच्च दर से विद्युत शुल्क लगाया जाय।**
2. **विभाग, शीघ्र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करे जिससे विवरणियों को अनिवार्य रूप से विद्युत शुल्क का ई-फाइलिंग किया जा सके।**

5.9 विद्युत उर्जा का छिपाव

विभाग में दो निर्धारितियों के मध्य विद्युत ऊर्जा के हस्तांतरण के तिर्यक जाँच के लिये तंत्र नहीं था जिसके फलस्वरूप 4.68 करोड़ इकाईयों के विद्युत उर्जा का छिपाव हुआ एवं परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.35 करोड़ के शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के अलावा हर व्यक्ति जो बिक्री या आंशिक रूप से स्वयं के उपयोग के लिये, एक अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की थोक आपूर्ति प्राप्त करता है, सरकार को उचित दर पर हर महीने विद्युत शुल्क का भुगतान करेगा। अनुवर्ती महीने के 21वें दिन तक शुल्क या उसके भाग का भुगतान करने में विफल रहने पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज आरोपित होगा।

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अधिनियम/ नियमों के उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण 22 निर्धारितिओं के मामले में ₹ 32.63 करोड़ के शुल्क का अल्पारोपण/ अनारोपण होने पर प्रकाश डाला था। निष्कर्षों पर विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये, लेखापरीक्षा ने तेनुघाट वाणिज्यकर अंचल में 18 निर्धारितिओं के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की, और देखा कि 2012-13 और 2013-14 के दौरान एक निर्धारिती (मई 2016 में कर निर्धारित) ने भण्डार अंतरण के द्वारा 15.51 करोड़ इकाईयों की विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति दर्शाया था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा अंतरणकर्ता निर्धारिती के कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने वास्तव में विद्युत ऊर्जा के 20.19 करोड़ इकाईयों को स्थानांतरित किया था। विद्युत उर्जा छिपाये जाने के कारणों का विश्लेषण किया गया और देखा कि कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान क.नि.प्रा. ने उसी अंचल में निबंधित दो निर्धारितियों के बीच ऊर्जा के हस्तांतरण के तिर्यक जाँच के कार्यों को नहीं किया। तदन्तर, झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2011 के तहत क्रय/ विक्रय आवर्त के तिर्यक जाँच के लिये कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। इसके परिणामस्वरूप स्थानांतरी द्वारा 4.68 करोड़ इकाई विद्युत् ऊर्जा का छुपाव किया गया, जिस पर ₹ 93.68 लाख का विद्युत् शुल्क के अलावा विद्युत् शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण ₹ 41.26 लाख का ब्याज आरोप्य था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितम्बर 2017)।

अनुशंसा :

वा.क.वि. विद्युत उर्जा के बिक्री/ अंतरण की तिर्यक जाँच के लिये, झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2011 में संशोधन करते हुये एक तंत्र विकसित कर सकता है।